

१०

राजस्थान सरकार
राजस्व & मुप-6 विभाग

क्रमांक:- प06/7/राज-6/95/25

जन्मूर, दिनांक 10-5-2001

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भा-राजस्व अधिनियम 1956 & राजस्थान अधिनियम सं-15 वर्ष 1956 & की धारा 20 & 111 & द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित परिवीक्षाधान अधिकारियों को हिन्हे कार्मिक विभाग की आज्ञा क्रमांक प03/2/1/ कार्मिक क-1/2000 दिनांक 17-4-2001 के द्वारा उनके नाम के सम्मूह जिलों में सहायक कलेक्टर एवं कांशपालक मजिस्ट्रेट & प्रशासना के पद पर पदस्थापित किया है, को सहायक कलेक्टर एवं कांशपालक मजिस्ट्रेट उनके ही अधिकार के भीतर नियुक्त करती है ।

क्र० सं०	नाम अधिकारी	जिला जिसमें पदस्थापित किया है ।
10	श्री देवशील पट्टी	जोधपुर
20	सुधी मनु राजपाल	अजमेर

राजपाल की आज्ञा
एन० एन० राजा
राजस्थान उप सचिव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवेक का भवाही हेतु प्रेषित है :-
- 1- निजी सचिव, राजस्व मंत्री महो/मुख्य सचिव महो/राजस्थान सचिव, राजस्व ।
 - 2- संबंधित सहाय्य आयुक्त, राजस्थान ।
 - 3- संबंधित कलेक्टर ।
 - 4- निबन्धाक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
 - 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
 - 6- निदेशक, राज्य केन्द्रीय मण्डल, जयपुर को राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 10-5-2001 में प्रकाशनाथ ।
 - 7- "राविरा" राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर ।
 - 8- विधि संहिताकरण विभाग ।
 - 9- उप निबन्धाक, विले एक लेखा राजस्व मण्डल, अजमेर ।
 - 10- संबंधित सहाय्य कलेक्टर, राजस्थान ।
 - 11- कार्मिक क-1 विभाग ।
 - 12- रक्षित पत्रावली ।

राजस्थान उप सचिव